

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0 9/आ0-1-21/2016


५६४ (९)

दिनांक- 27/04/2016

डा0 जैनेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर को दिनांक 18.03.16 को 60,000/-रूपये (साठ हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग के धावादल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के आरोप में गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 18.03.16 के प्रभाव से, निलंबित किया जाता है। इस संदर्भ में इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0-032/2016, दिनांक 19.03.16 दायर किये जाने की सूचना भी पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक-570, दिनांक 31.03.16 द्वारा प्राप्त हुई है।

2. निलंबन अवधि में डा0 सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता (उनके पूर्व पदस्थापन स्थल से) देय होगा।
3. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- सं0सं0 9/आ0-1-21/2016

५६४ (९)

दिनांक:- 27/04/2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0ह0) बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 जैनेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 01, 02, 03, 08 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव
४